मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे ईडी की हिरासत में

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 20 जुलाई।

दिल्ली की अदालत ने धन शोधन के एक मामले में मुंबई के पूर्व पुलिस आयुक्त संजय पांडे को बुधवार को नौ दिनों के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की हिरासत में भेज दिया। यह मामला कथित रूप से फोन टैपिंग और स्टाक एक्सचेंज के कर्मचारियों की जासूसी से जुड़ा है।

विशेष न्यायाधीश सुनैना शर्मा ने ईडी को पांडे से पूछताछ की अनुमति दे दी। ईडी ने इससे पहले अदालत से कहा था कि उसे मामले के अन्य आरोपियों का सामना करा पांडे से पूछताछ करनी है। ईडी की ओर से पेश अतिरिक्त सालिसीटर जनरल एसवी राजू ने अदालत में अर्जी देकर पांडे की 14 दिन की हिरासत जांच एजंसी को देने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि मुंबई के पुलिस आयुक्त ने महानगर दूरसंचार निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) के फोन को टैप कर गैरकानूनी कृत्य किया है जिसके लिए 454 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया और वह अपराध के वाहक बने। पांडे ने अदालत में कहा कि उन्होंने कभी फोन टैपिंग नहीं की है और न ही उनकी सजीव निगरानी की है। उन्हें इस मामले में ईडी ने मंगलवार को गिरफ्तार किया था। ईडी ने इससे पहले नेशनल स्टाक एक्सचेंज (एनएसई) की प्रबंधक निदेशक चित्रा रामाकृष्णन को अदालत की अनुमति से की गई पूछताछ के बाद 14 जुलाई को गिरफ्तार किया था। उन्हें न्यायाधीश द्वारा पूर्व में पारित आदेश के तहत जेल से अदालत में पेश किया गया। ईडी की अर्जी पर न्यायाधीश ने आरोपी का पेशी वारंट जारी किया था। बाद में ईडी ने सहयोग नहीं करने के आधार पर रामाकृष्णन को गिरफ्तार किया और दोबारा अदालत के समक्ष पेश कर पूछताछ के लिए नौ दिनों की हिरासत मांगी। अदालत ने हालांकि, रामाकृष्णन को चार दिनों के लिए एजंसी की हिरासत में भेजने का निर्देश दिया। रामाकृष्णन को एक अलग मामले में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआइ) ने गिरफ्तार किया था और मौजूदा समय में वह न्यायिक हिरासत में हैं।

तथ्यान्वेषी समिति केरल परीक्षा मामले में चार सप्ताह में पेश करेगी रिपोर्ट

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 20 जुलाई।

केरल में राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) में शामिल होने के लिए एक लड़की से कथित तौर पर अंतःवस्त्र उतारने के लिए कहने के मामले की जांच के लिए राष्ट्रीय परीक्षा एजंसी (एनटीए) की ओर से गठित तीन सदस्यीय समिति चार सप्ताह में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। अधिकारियों ने यह जानकारी दी।

इस समिति में एनटीए की वरिष्ठ निदेशक साधना पराशर, केरल के अरप्पुरा में सरस्वती विद्यालय की प्रधानाचार्य शैलजा ओआर और केरल की 'प्रगति एकेडमी' की सुचित्रा शिजिन्थ शामिल हैं।

एनटीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि समिति घटनास्थल पर जाएगी और सभी संबंधित लोगों से बातचीत करके मामले के तथ्यों की जांच करेगी। उन्होंने कहा कि यह देखेगी कि अध्याय नौ में दर्ज सुरक्षा व तलाशी के नियम सूचना बुलेटिन के अनुसार प्रतिबंधित वस्तुओं और 'ड्रेस कोड' व दिशा निर्देशों का शहर समन्वयक, केंद्र के अधीक्षकों, पर्यवेक्षकों और निरीक्षकों ने पालन किया था कि नहीं। अधिकारियों के अनुसार समिति उचित अनुशंसा करेगी और चार सप्ताह में अपनी रिपोर्ट पेश करेगी।केरल के एक शैक्षणिक संस्थान में रविवार को आयोजित नीट परीक्षा के लिए ड्यूटी में तैनात पांच महिलाओं को छात्राओं को परीक्षा में बैठने से पहले अपने अंतःवस्त्र हटाने के लिए बाध्य करने के आरोप में मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया था।

Bank of India
Relatiopnsship beyond banking

ई–नीलामी बिक्री सूचना
सम्पतियों की ई–नीलामी – 05.09.2022

बैंक ऑफ इंडिया जोनल कार्यालय, नई दिल्ली क्षेत्र, ''स्टार हाउस'', एच–2, क्नॉट सर्कस, मिडल/आउटर सर्कल, पीवीआर प्लाज़ा, हॉल के पास नई दिल्ली–110001, फोन नं. 011–28844099

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानो के साथ पठित वित्तीय असस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के अधीन अचल सम्पत्तियों के विक्रय हेतु ई–नीलामी विक्रय नोटिस

आम जनता को और विशेष रूप से कर्जदार और गारंटर्स को यह नोटिस दिया जाता है कि नीचे वर्णित अचल सम्पत्तियां जो प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/ प्रभारित है, का कब्जा, बैंक ऑफ इंडिया (प्रतिभूत लेनदार), के प्राधिकारी द्वारा लिया गया है, को ''जहाँ है, जैसा है और जो कुछ भी है'' के आधार पर दिनांक 05.09.2022 को पूर्वा.11.00 बजे से अपरा. 05.00 बजे को बेचा जाएगा, प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानो के साथ पठित वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्गठन तथा प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत ई–नीलामी द्वारा होगी।

बेची जाने वाली संपत्तियों का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है: वसूल की जाने वाली राशि (प्रतिभूत ऋण) और कब्जे का विवरण भी नीचे दी गई तालिका में उल्लिखित है

क्र. सं.	कर्जदार(रों) / गारंटर(रों) बंधककर्ता(ओं) का नाम	सम्पत्ति का विवरण	कुल देय	क. आरक्षित मूल्य ख. ईएमडी ग. बोली वृद्धि राशि	प्राधिकृत अधिकारी सम्पर्क नं.
1.	श्रीमती चंद्र कला राय और मि. सुधीर कुमार राय	(रिहायशी) सम्पत्ति जोकि प्लॉट नं. 102, ब्लॉक–सी, सैक्टर–50, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा, यू.पी. में स्थित है, यह सम्पत्ति श्रीमती चंद्र कला राय के नाम पर है। क्षेत्रफल 360 वर्ग मी. (सम्पत्ति का भौतिक कब्जा बैंक के पास है।)	रु. 398.84 लाख + UCI + अन्य प्रभार	क. रु. 4,81,00,000 ख. रु. 48,10,000 ग. रु. 50,000/–	भूपेन्दर सिंह बत्रा फोन. 011.28855078, 8347065065

नियम और शर्तें

1) नीलामी बिक्री/बोली केवल ''ऑनलाईन इलेक्ट्रॉनिक बोली प्रकिया'' https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp वेबसाइट के माध्यम से होगी।
2) इच्छुक बोलीदाताओं को पोर्टल https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp पर अपना नाम पंजीकृत करवाना है और यूजर आईडी और पासवर्ड प्राप्त करना है, जिसके पश्चात उन्हें उक्त पोर्टल पर ऑनलाईन ई–नीलामी में भाग लेने की अनुमती दी जाएगी।
3) नीलामी की तिथि और समय : 05.09.2022 सुबह 11.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक असीमित 5 मिनट प्रत्येक ऑटो–एक्सटेंशन के साथ।
4) संपत्ति का निरीक्षण संबंधित प्राधिकृत अधिकारी से पूर्व नियुक्ति के साथ 29.08.2022 को पूर्वाह्न 11.00 बजे से अपराह्न 04.00 बजे के बीच किया जा सकता है।
5) ई–नीलामी जैसा कि उपर उल्लेख किया गया है, आरक्षित मूल्य प्लस प्रथम वृद्धिशील मूल्य पर शुरू होगा। बोली दाता सभी संपत्तियों के लिए एक साथ उपरोक्त तालिका में उल्लिखित गुणकों में अपने प्रस्ताव में सुधार करेगा।
6) इच्छुक बोलीकर्ताओं को संपत्ति के क्रय के लिए ई–निलामी में भाग लेने हेतु आवश्यक दस्तावेजों/विवरणों को ईएमडी बॉयलट के साथ जो कि आरक्षित मूल्य का 10% है, 03.09.2022 तक ई–बिक्रय पोर्टल https://www.mstcecommerce.com/ auctionhome/ibapi/index.jsp पर जमा करना होगा।
7) उच्चतम /सफल बोलीदाता को बिक्री के संबंध में प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बोली की स्वीकार्यता के बाद पहले से भुगतान की गयी ईएमडी राशि जो कि आरक्षित मूल्य का 10% है, को मिलाकर बोली/खरीद राशि का 25% बिक्री की पुष्टि के अगले कार्यदिवस तक (बैंकिंग अवधि के दौरान) जमा करनी होगी अन्यथा उसकी ईएमडी राशि जब्त कर ली जाएगी।
8) बोली /खरीद राशि की शेष 75% राशि प्राधिकृत अधिकारी द्वारा बिक्री की पुष्टि क 15 वें दिन या उससे पहले (बैंकिंग कार्यदिवस के दौरान) या पुरी तरह से प्राधिकृत अधिकारी के विवेकानुसार लिखित में किए गए समझौते के अनुसार बढ़ाई गयी ऐसी किसी तिथि तक जमा करनी होगी। निर्धारित अवधि के भीतर इस शेष राशि को जमा करने में असफल रहने पर जमा की गयी राशि को जब्त कर लिया जाएगा और प्राधिकृत अधिकारी /बैंक के पास नीलामी रद्द करने और नई नीलामी आयोजित करने का पूर्ण अधिकार होगा।
9) सम्पूर्ण बिक्री राशि प्राप्त होने के बाद, प्राधिकृत अधिकारी बिक्री प्रमाणपत्र जारी करेगा और उसके बाद बिक्री को पूर्ण माना जाएगा और इस संबंध में बैंक किसी भी दावे पर विचार नहीं लेगा।
10) बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया लिंक - https://www.bankofindia.co.in/Dynamic/Tender?Type=3 देखें
11) इच्छुक बोलीदाता को तदद्वारा सूचित किया जाता है कि SA/243/2022 (चंद्र कला राय Vs बैंक ऑफ इंडिया DRT-I, नई दिल्ली के पास लंबित है
12) यह प्रकाशन उपरोक्त उधारकर्ताओं / गारंटरों /बंधककर्ताओं को अग्रिम में 30 दिनों का नोटिस भी है।
13) विषय संपत्ति नोएडा प्राधिकरण की लीज होल्ड संपत्ति है और लीज डीड के नियम और शर्तें सफल बोली दाता पर बाध्यकारी होंगी और सभी शुल्क नोएडा प्राधिकरण को उसके/उसकी द्वारा भुगतान किए जाने है।

दिनांक :19.07.2022 स्थान : नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, बैंक ऑफ इंडिया

इंजीनियरिंग परीक्षा का दूसरा सत्र स्थगित, 25 से होगा शुरू

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 20 जुलाई।

राष्ट्रीय परीक्षा एजंसी (एनटीए) ने बुधवार को घोषणा की है कि इंजीनियरिंग कालेजों के स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा (जेईई)–मेन स्थगित कर दी गई है। यह परीक्षा 21 जुलाई की बजाय अब 25 जुलाई से शुरू होगी। एनटीए ने हालांकि इस महत्त्वपूर्ण परीक्षा को स्थगित करने का कारण नहीं बताया।

एनटीए ने कहा कि जेईई–मेन का दूसरा सत्र 25 जुलाई से शुरू होगा जिसमें करीब 500 शहरों में विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर 6.29 लाख छात्र परीक्षा देंगे। इन परीक्षा केंद्रों में 17 केंद्र भारत से बाहर हैं। इसके लिए प्रवेश पत्र गुरुवार से डाउनलोड किए जा सकते हैं। जेईई मेन का दूसरा सत्र पूर्व में 21 जुलाई से 30 जुलाई तक निर्धारित किया गया था।

ईडी ने शिवसेना सांसद संजय राउत को 27 जुलाई को तलब किया

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 20 जुलाई।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शिवसेना के सांसद संजय राउत को ताजा समन जारी कर उनसे धनशोधन के मामले में पूछताछ के लिए 27 जुलाई को पेश होने को कहा है। राउत संसद सत्र का हवाला देकर बुधवार को एजंसी के समक्ष पेश नहीं हुए।

राज्यसभा सदस्य के वकील मुंबई में ईडी के अधिकारियों से मिले और लिखित अनुरोध देकर राउत के लिए अगस्त के पहले सप्ताह में पेशी का अनुरोध किया। ईडी ने हालांकि राउत को महज एक सप्ताह की राहत दी है और अधिकारियों के अनुसार, उनसे 27 जुलाई को संघीय जांच एजंसी के समक्ष पेश होने को कहा गया है।

शिवसेना नेता ने कुछ भी गलत करने से इनकार किया है और आरोप लगाया है कि राजनीतिक प्रतिशोध के तहत उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। राउत महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के विश्वासपात्र हैं।

गौरतलब है कि पिछले महीने शिवसेना में बगावत के कारण ठाकरे को मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा था। ईडी ने राउत से एक जुलाई को लगभग 10 घंटे तक पूछताछ की थी।

DELHI CANTONMENT BOARD
PUBLIC NOTICE

It is informed that Smt. Kanti Misra W/o Sh. Krishan Kumar Misra has requested the said office for transfer of property number CB-389, Naraina. Delhi-10 in her name in Municipal record for Taxation Purpose. If anybody has any objection for the proposed transfer he/she can object accordingly in writing to the said office on /or before 20/08/2022 positively. In case no objection is received in the said office then the matter for transfer of the said property will be carried out.

Property Number	Description	Name of Owner	Name Transferee	Ground for transfer of Property
CB-389, Naraina, Delhi Cantt.	Measuring of plot area 200 sq. yards.	Ram Murti Trehan S/o Gokul Chand	Smt. Kanti Misra	Sale Deed

Sd/-
Chief Executive Officer
Delhi Cantonment Board, Delhi Cantt.

बी स्वस्थ हेल्थकेयर लिमिटेड
(पूर्व में उजाला कॉमर्सियल्स लिमिटेड विदित)
CIN: L39000DL1985PLC021397
पंजी. कार्या: ए–6/343बी, जनता फ्लैट्स, पश्चिम विहार, नई दिल्ली–110063
ईमेल आईडी: cs@be-swasth.in सम्पर्क: 011–49879687
30 जून, 2022 को समाप्त तिमाही के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सार
(ईपीएस छोड़कर राशि (रु. लाख में)

विवरण	समाप्त तिमाही			समाप्त वर्ष
	30 जून, 22 अनंकेक्षित	31 मार्च, 22 अंकेक्षित	30 जून, 21 अनंकेक्षित	31 मार्च, 21 अंकेक्षित
प्रचालनों से कुल आय	8.86	2.26	2.25	9.02
विशिष्ट एवं असाधारण मदों तथा कर से पूर्व शुद्ध लाभ/(हानि)	1.21	(5.63)	(2.40)	(18.89)
कर, अल्पसंख्यक ब्याज तथा एसोसिएट्स के लाभ/(हानि) के शेयर के बाद शुद्ध लाभ/(हानि)	1.21	(5.63)	(2.40)	(24.01)
अवधि के लिये कुल व्यापक आय	1.21	(5.63)	(2.40)	(24.01)
प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (सम मूल्य रु.10/– प्रति)	111.90	111.90	111.90	111.90
पूर्व लेखा वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों के अतिरिक्त आरक्षित	–	–	–	(15.37)
आय प्रतिशेयर (रु.10/– प्रति का) (वार्षिकीकृत नहीं) क) मूल ख) तरल	(0.11)	(0.50)	(0.21)	(2.15)

टिप्पणी:
1. कम्पनी के उक्त अनंकेक्षित वित्तीय परिणाम की कम्पनी की ऑडिट कमिटी द्वारा समीक्षा की गई तथा बुधवार, 20 जुलाई, 2022 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किये गये। सांविधिक अंकेक्षकों की सीमित रिपोर्ट मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड में दाखिल की जा रही है।
2. उपरोक्त सेबी (सूचीयन दायित्व एवं उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचैंज में दाखिल 30 जून, 2022 को समाप्त तिमाही के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। सांविधिक अंकेक्षकों के सीमित समीक्षा रिपोर्ट के साथ 30 जून, 2022 को समाप्त तिमाही के अनंकेक्षित वित्तीय परिणामों का सम्पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचैंज की वेबसाईट अर्थात् www.msei.in तथा कम्पनी की वेबसाईट अर्थात् www.be-swasth.in पर उपलब्ध है।

बी स्वस्थ हेल्थकेयर लिमिटेड के लिए
(पूर्व में उजाला कॉमर्सियल्स लिमिटेड विदित)
हस्ता./–
प्रांशु पोद्दार
(निदेशक)
DIN: 09203812

स्थान: नई दिल्ली
तिथि: 20.7.2022

केरल में मंकीपाक्स को काबू करने के लिए मानक प्रक्रिया जारी

तिरुवनंतपुरम, 20 जुलाई (भाषा)।

केरल में मंकीपाक्स के दो मामले सामने आने के बाद राज्य सरकार ने बुधवार को संक्रमित लोगों या जिनमें इसके लक्षण नजर आ रहे हैं उनके पृथक रहने, नमूने एकत्रित करने और उपचार के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है।

राज्य की स्वास्थ्य मंत्री वीणा जार्ज ने एक प्रेस विज्ञप्ति में एसओपी का विवरण दिया, जिसका पालन सभी निजी तथा सरकारी अस्पतालों को करना होगा। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति जिसने पिछले 21 दिनों में उस देश की यात्रा की है, जहां मंकीपाक्स के मामले सामने आए हैं।

पंजाब नैशनल बैंक punjab national bank ...the name you can BANK upon!

सर्कल शास्त्र नई दिल्ली: दूसरी मंजिल, विक्रांत टॉवर, राजेंद्र प्लेस, नई दिल्ली – 110008, ईमेल: cs4168@pnb.co.in

ई–नीलामी बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के नियम 8 (6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित का प्रवर्तन अधिनियम 2002 के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई/नीलामी बिक्री सूचना। एतदद्वारा जनसमान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार (रों) एवं जमानती (यों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूति क्रेडिटर के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका रचनात्मक/भौतिक/सांकेतिक कब्जा बैंक/प्रतिभूत क्रेडिटर के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा कर लिया गया थ, की बिक्री सम्बद्ध कर्जदार (रों) एवं जमानती (यों) से बैंक/प्रतिभूत क्रेडिटर के बकायों की वसूली हेतु नीचे तालिका में वर्णित तिथियों पर ''जहाँ है वहाँ है'', ''जो है वही है'' तथा ''जो कुछ भी है वहीं है'' के आधार पर की जायेगी। भौतिक कब्जे के मामले में प्राधिकृत अधिकारी को न्यूनतम 24 घंटे की पूर्व सूचना के साथ 23.08.2022 को दोपहर 3:00 बजे से 4:00 बजे के बीच प्रतिभूतियों का दौरा किया जा सकता है। सांकेतिक कब्जे के लिए बोली लगाने वाले को स्वयं यात्रा की व्यवस्था करनी होगी।

क्र. सं.	शाखा का नाम खाते का नाम कर्जदार/जमानतियों का नाम तथा पता खाता	सरफेसी अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत माँग सूचना की तिथि माँग सूचना के अनुसार बकाया राशि सरफेसी अधिनियम की धारा 13(4) के तहत कब्जा करने की तिथि कब्जे की प्रकृति सांकेतिक/भौतिक/रचनात्मक	गिरवी रखी गई अचल संपत्ति का विवरण/मालिक का नाम (संपत्ति का बंधक)	आरक्षित मूल्य (लाख रुपये में) ईएमडी राशि ईएमडी (ईएमडी जमा करने की अंतिम तिथि) बोली वृद्धि राशि	ई–नीलामी की तिथि/समय	प्रतिभूति क्रेडिटर के संज्ञान में ऋणभारों का विवरण	अधिकृत प्राधिकारी का नाम एवं सम्पर्क नं.
1.	सर्किल शास्त्र, नई दिल्ली ट्रैवल प्लानर्स लिमिटेड श्री विनोद कुमार सिक्का पुत्र स्वर्गीय श्री राम सिक्का, श्री शिखर चंद्र जैन पुत्र स्वर्गीय श्री राम रतन लाल जी जैन, श्री सुमित सहगल पुत्र स्वर्गीय श्री विनोद सहगल (कानूनी वारिस), श्रीमती दविंदर सहगल पत्नी स्वर्गीय श्री विनोद सहगल, पं. बीना जैन पत्नी श्री शिखर जैन, श्रीमती संध्या सिक्का, पत्नी श्री विनोद कुमार सिक्का	03.07.2021 रू. 4,62,84,004.14 29.06.2022 सांकेतिक	1. छत के अधिकार के साथ दूसरी मंजिल का फ्रीहोल्ड बिल्टअप, संपत्ति का हिस्सा नंबर ए–87, आयत संख्या 7 में से 241.1/9 वर्ग गज का क्षेत्रफल, किला नंबर 25, गांव पोसांगी पुर, आबादी जिसे शंकर गार्डन, नजफगढ़ रोड, नई दिल्ली –110018 के रूप में जाना जाता है, के क्षेत्र में स्थित है, जिसमें सीढ़ी और अन्य सामान्य सुविधाओं में आम हिस्सेदारी के साथ–साथ उक्त संपत्ति के नीचे की भूमि का अनुपातिक हिस्सा है। श्री विनोद सहगल पुत्र स्वर्गीय श्री राम सरन सहगल के नाम पर है।	रू. 191.00 लाख ईएमडी–रू.19.1 लाख ईएमडी की तिथि – 23.08.2022 रू. 1,00,000/-	26.08.2022 प्रातः 11:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक	अज्ञात	पवन कुमार 9873344532

नियम और शर्तें: यह बिक्री प्रतिभेति हित (प्रवर्तन) नियम 2002 में निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन होगी और और आगे के निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:
1. यह नीलामी बिक्री ई–नीलामी पोर्टल http://www.mstcecommerce.com/ के माध्यम से ''ऑनलाइन'' होगी।
2. इच्छुक संविदाकार/केता कृपया अपने मोबाइल नंबर और ईमेल–आईडी का उपयोग करते हुए पोर्टल (https:www.mstcauction.com) पर पंजीकरण करें। पुनः उनसे निवेदन है कि वे अपेक्षित केवाईसी दस्तावेज अपलोड करें। ई–नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा एक बार केवाईसी दस्तावेजों का सत्यापन होने पर (2 कार्य दिवस लग सकते हैं), इच्छुक संविदाकारों/केताओं को पोर्टल में ई–नीलामी की तिथि से पहले 23.08.2022 तक अपने ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में ऑनलाइन मोड का उपयोग करते हुए ईएमडी राशि स्थानांतरित करनी होगी। पंजीकरण, केवाईसी दस्तावेजों का सत्यापन और ईएमडी राशि का अन्तरण नीलामी से पूर्व अग्रिम में ही पूर्ण कर लेने चाहिए।
3. उपर्युक्त के अनुसार जमा धरोहर राशि (ईएमडी) राशि 3 मोड अर्थात एनईएफटी/अन्तरण (संविदाकार के ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में (https:www.mstcecommerce.com) से चालान सृजित करने के पश्चात) के माध्यम से अदा किया जायेगा।एनईएफटी अन्तरण किसी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक से किया जा सकता है, किन्तु नकद अन्तरण के संविदाकार को पंजाब नेशनल बैंक की शाखा में जाना होगा। किसी अन्य माध्यम जैसे चैक द्वारा ईएमडी का भुगतान स्वीकार नहीं किया जायेगा। अपेक्षित ईएमडी ऑनलाइन नहीं जमा करने वाले संविदाकारों को ई–नीलामी में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जायेगी। जमा धरोहर राशि पर कोई ब्याज नहीं दिया जायेगा।
4. ई–नीलामी के लिए प्लेटफॉर्म (https:www.mstcecommerce.com) ई–नीलामी सेवा प्रदाता मेसर्स एमएसटीसी लिमिटेड द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा, जिसका पंजीकृत कार्यालय 225–सी, ए.जे.सी. बोस रोड, कोलकाता– 700020 (फोन और टोल फ्री नंबर 079–41072412/411/413 या 1800–103–5342 पर संपर्क करें)। इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों को ई–नीलामी सेवा प्रदाता की वेबसाइट https:www.mstcecommerce.com पर ई–नीलामी प्रक्रिया में भाग लेना आवश्यक है। यह सेवा प्रदाता पोर्टल पर ई–नीलामी पर ऑनलाइन प्रदर्शन/प्रशिक्षण भी प्रदान करेगा।
5. बिक्री के सामान्य नियमों और शर्तों वाली बिक्री सूचना निम्नलिखित वेबसाइटों/वेबपेज पोर्टल में उपलब्ध/प्रकाशित है।
क) https://www.ibapi.in, ख) https://eprocure.gov.in/epublish/app, ग) http://www.mstcecommerce.com/., घ) www.pnbindia.in,
6. ई–नीलामी के इच्छुक प्रतिभागी इस ई–नीलामी से संबंधित ई–नीलामी से संबंधित ई–नीलामी के संचालन भाग पर ई–बीक्रय–आईबीएपीआई से निरुशुल्क, बिक्री नोटिस की प्रतियां, नियम और शर्तें, ई–नीलामी की प्रतियां डाउनलोड कर सकते हैं। पोर्टल (https://www.ibapi.in)।
7. इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों से अनुरोध है कि वे अपने मोबाइल नंबर और ईमेल–आईडी का उपयोग करके पोर्टल (https:www.mstcauction.com) पर पंजीकरण करें। इसके अलावा, वे अपेक्षित केवाईसी दस्तावेज अपलोड करेंगे। एक बार जब केवाईसी दस्तावेजों को उप–नीलामी सेवा प्रदाता द्वारा सत्यापित किया जाता है (2 कार्य दिवस लग सकते हैं), इच्छुक बोलीदाताओं/खरीदारों को अपने ग्लोबल ईएमडी वॉलेट में ऑनलाइन मोड का उपयोग करके ईएमडी राशि को स्थानांतरित करना होगा। अपने वॉलेट में पर्याप्त ईएमडी होने के बाद ही ब्याज बोलीदाता ई–नीलामी की तिथि पर बोली लगा सकेगा।
8. बिडर के ग्लोबल वॉलेट में बिडिंग के समय पर्याप्त बैलेंस (>=ईएमडी राशि) होना चाहिए।
9. ई–नीलामी के दौरान बोलीदाताओं को बोली की गई अंतिम बोली के अलावा परस्पर बोली में उच्च बोली लगाने की अनुमति दी जाएगी और बोली राशि में न्यूनतम वृद्धि रुपये की होनी चाहिए। बोलीदाताओं की अंतिम उच्च बोली तक रू. 50,000 बोलीदाताओं को लगातार ऊंची बोली लगाने के लिए दस मिनट का समय दिया जाएगा और यदि किसी बोलीदाता द्वारा अंतिम उच्चतम बोली के दस मिनट की समाप्ति के बाद कोई उच्च बोली नहीं दी जाती है, तो ई–नीलामी बंद कर दी जाएगी।
10. इच्छुक बोलीदाताओं की यह जिम्मेदारी है कि वे बिक्री सूचना, ई–नीलामी के नियम और शर्तें, ई–नीलामी के संचालन भाग पर सहायता नियमावली को ठीक से पढ़ें और उनका सख्ती से पालन करें।
क) ई–नीलामी प्रक्रिया से पहले या उसके दौरान किसी भी कठिनाई या सहायता की आवश्यकता के मामले में हमारे ई–नीलामी सेवा प्रदाता (https:http://www.mstcecommerce.com/)के अधिकृत प्रतिनिधि से संपर्क कर सकते हैं। जिसका विवरण ई–नीलामी पोर्टल पर उपलब्ध है।
11. प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ई–नीलामी को अंतिम रूप दिए जाने के बाद, हमारे उपरोक्त संदर्भित सेवा प्रदाता द्वारा एसएमएस/ईमेल के माध्यम से केवल सफल बोलीदाता को सूचित किया जाएगा। (उनके द्वारा दिए गए मोबाइल नंबर/ईमेल पते पर/सेवा प्रदाता के साथ पंजीकृत)।
12. सुरक्षित संपत्ति को आरक्षित मूल्य से कम पर नहीं बेचा जाएगा।
13. सफल बोलीदाता द्वारा बैंक को बिक्री प्रतिफल का भुगतान आयकर अधिनियम 1961 की धारा 194–1ए के तहत टीडीएस के अधीन होगा और टीडीएस सफल बोलीदाता द्वारा केवल शेष बोली राशि/बोली राशि की पूरी जमा राशि का 75 प्रतिशत राशि जमा करते समय किया जाना है।।
14. प्राधिकृत अधिकारी के पास किसी भी बोली को स्वीकार करने या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित है, यदि स्वीकार्य नहीं पाया जाता है या बिना कोई कारण बताए और इस संबंध में अपने निर्णय के बिना किसी भी समय नीलामी की शर्तों को स्थगित / रद्द / स्थगन / बंद करने या बदलने का अधिकार है, जो अंतिम होगा।
15. अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पूर्ण बोली राशि जमा करने पर सफल बोलीदाता के पक्ष में बिक्री प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा।
16. संपत्तियां ''जैसी है जहाँ है'', ''जैसी है जो कुछ है''एवं ''वहाँ जो कुछ है'' के आधार पर बेची जा रही हैं।
17. उपरोक्त अनुसूची में निर्दिष्ट सुरक्षित परिसंपत्तियों का विवरण प्राधिकृत अधिकारी की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार बताया गया है, लेकिन प्राधिकृत अधिकारी इस उद्घोषणा में किसी त्रुटि, गलत कथन या चूक के लिए जवाबदेह नहीं होगा।
18. बोली जमा करने से पहले संपत्ति और विनिर्देश के बारे में निरीक्षण करने और खुद को संतुष्ट करने के लिए बोलीदाताओं की जिम्मेदारी होगी। विवरण के अनुसार बोलीदाता संबंधित अधिकारी के परामर्श से संपत्ति का निरीक्षण करता है।
19. पंजीकरण शुल्क, स्टांप शुल्क, कर आदि सहित सभी वैधानिक देय/अटेंडेंट शुल्क/अन्य देय राशि क्रेता को वहन करनी होगी।
20. प्राधिकृत अधिकारी या बैंक सरकार या किसी अन्य को संपत्ति (ई–नीलामी) के संबंध में किसी भी शुल्क, ग्रहणाधिकार, ऋणभार, या किसी अन्य देय राशि के लिए जिम्मेदार नहीं होगा जो बैंक को ज्ञात नहीं है। इच्छुक बोलीदाता को सलाह दी जाती है कि वे वैधानिक देनदारियों, संपत्ति कर के बकाया, बिजली बकाया आदि सहित संपत्ति पर भार के बारे में अपनी स्वतंत्र जांच करें।
21. बोलीदाता को उचित इंटरनेट कनेक्टिविटी, पावर बैक–अप आदि सुनिश्चित करना चाहिए। इंटरनेट की विफलता, बिजली की विफलता या तकनीकी कारणों या ई–नीलामी को प्रभावित करने वाले कारणों / आकस्मिकताओं के कारण किसी भी व्यवधान के लिए बैंक उत्तरदायी नहीं होगा।
22. बैंक के लिए एक प्रतिनिधि नियुक्त करने और स्वयं बोली लगाने और नीलामी में भाग लेने का अधिकार है।
बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया https://www.ibapi.in, https://eprocure.gov.in/epublish/app, http://www.mstcecommerce.com/, www.pnbindia.in में देखें।

दिनांक: 21.07.2022, स्थान: दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी: पंजाब नेशनल बैंक

केनरा बैंक Canara Bank
सिंडिकेट Syndicate

सी–34, तृतीय तल, डीडीए शॉपिंग–कम–ऑफिस कॉम्प्लेक्स, मूल चंद चिकित्सालय के सम्मुख, लाजपत नगर, दिल्ली–24
ईमेल: cb19208@canarabank.com
दूरभाष: 011.79676467

ई–नीलामी विक्रय सूचना

विक्रय सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 8(6) के प्रावधान के साथ पठित वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत अचल संपत्तियों के विक्रयार्थ ई–नीलामी विक्रय सूचना

एतद्द्वारा जनसाधारण को तथा विशेष रूप में उधारकर्ता(ओं) और गारंटर(रों) को सूचित किया जाता है कि प्रतिभूत ऋणदाता के पास बंधककृत/प्रभारित निम्न विवरणित चल/अचल संपत्ति/यां, जिनका भौतिक आधिपत्य केनरा बैंक के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ले लिया गया है, का विक्रय 30.08.2022 को ''जैसी है जहां है'', ''जैसी है जो है'' और ''वहां जो कुछ भी है'' आधार पर किया जाएगा, जो कि निम्न वर्णित ऋणकर्ता, गारंटर और बंधककर्ता की ओर से केनरा बैंक की एसएएम शाखा, सी–34, तृतीय तल, डीडीए शॉपिंग–कम–ऑफिस कॉम्प्लेक्स, मूल चंद चिकित्सालय के सम्मुख, लाजपत नगर, दिल्ली–24 को देय–भुगतेय 06.07.2019 के अनुसार निर्धारित देनदारी रु. 43,28,59,580.65 (रुपए तैतालिस करोड़ अट्ठाईस लाख उनसठ हजार पांच सौ अस्सी एवं पैंसठ पैसे मात्र) की एक राशि और इस पर नियत ब्याज एवं अन्य शुल्कों की वसूली के लिए होगा।

मैसर्स हैप्पी एकाउस्टिक्स प्रा. लि.
पंजी. कार्यालय: डब्ल्यूजेड–15, भूतल, अग्रसेन मार्किट, अशोक नगर, नई दिल्ली–110018
इकाई पता: 92/8, औद्योगिक क्षेत्र, उद्योग नगर, मुंडका, नई दिल्ली–110041

श्री अमरजीत सिंह कालरा पुत्र श्री सुरिंदर सिंह कालरा
सी–130, प्रथम तल, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली–110015

श्रीमती सुरिंदर कौर कालरा पत्नी श्री अमरजीत सिंह कालरा
सी–130, प्रथम तल, मानसरोवर गार्डन, नई दिल्ली–110015

ज्ञात ऋणभारों/बकाया देयराशियों, यदि कोई हों, के साथ अचल संपत्ति का वर्णन तथा पूर्ण विवरण निम्नानुसार हैं:–

क्र.सं.	संपत्ति का विवरण	आरक्षित मूल्य	धराज	बकाया देयराशि
संपत्ति–।	भूमि एवं भवन के समस्त वह भाग तथा अंश, जिनका अधिमापन 1 बीघा (1008 वर्ग गज) है जो खसरा संख्या 92/8 मिन. (0–07) और 92/9/1 मिन (0–13) में अवस्थित और मुंडका ग्राम की राजस्व संपदा, दिल्ली–110041 में स्थित हैं, और जो मैसर्स हैप्पी एकाउस्टिक्स प्रा. लि. के नाम पर हैं, और इस प्रकार परिसीमित हैं: पूर्व– अन्य की संपत्ति पश्चिम– सड़क उत्तर– अन्य की संपत्ति दक्षिण– सड़क	रु. 3,52,80,000/-	रु. 35,28,000/	बिजली बिल: रु. 26,200/- (रुपए छब्बीस हजार दो सौ मात्र) जो बिजली बिल दिनांकित 04.10.2019 बिल नं. 10003747647 के अनुसार है संपत्ति कर: स्वयं–प्रेरित की मांग धारा 123–डी ऑफ डीएमसी अधिनियम के अंतर्गत मूल्यांकन आदेश रु. 1,01,24,380/- (रुपए एक करोड़ एक लाख चौबीस हजार तीन सौ अस्सी मात्र) एनडीएमसी, नरेला जोन द्वारा पत्र संदर्भ: TZX/NRZ/A&C/2020/514 दिनांकित 30.12.2020
संपत्ति–।।	संपत्ति–। के अंदर पड़े हुए इंवेंटरी और स्टॉक के समस्त भाग तथा अंश।	रु. 3,00,000/-	रु. 30,000/-	बकाया देयराशियां, यदि कोई हों, हमारी जानकारी में नहीं हैं
संपत्ति–।।।	संपत्ति (औद्योगिक भूखंड) के समस्त वह भाग तथा अंश, जिनका अधिमापन 6 कनाल 09 मारला है जो खसरा संख्या 9/2/2, (0-13), 10/1/1, (0-3), 10/1/3, (0-11), 11/1, (5-7), 12/1, (3-17) का भाग बनाता है जो निज्जरपुरा में दिल्ली–अमृतसर राजमार्ग पर निकट टोल प्लाजा, तहसील एवं जनपद अमृतसर में अवस्थित है और श्री अमरजीत सिंह कालरा के नाम पर है, और इस प्रकार परिसीमित हैं: पूर्व– सिकंदर एवं पवन कुमार की संपत्ति पश्चिम– सड़क उत्तर– बसंत पैलेस दक्षिण– सड़क	रु. 3,52,80,000/-	रु. 35,28,000/	बकाया देयराशियां, यदि कोई हों, हमारी जानकारी में नहीं हैं

*संपत्ति का निरीक्षण प्राधिकृत अधिकारी से पूर्व नियुक्ति लेकर के 22.08.2022 को किया जा सकता है।
*धरोहर राशि जमा 26.08.2022 को सायं 5.00 बजे अथवा इससे पूर्व प्रस्तुत करनी होगी।
बिक्री के विस्तृत नियमों एवं शर्तों के लिए कृपया केनरा बैंक की वेबसाइट (https://www.canarabank.com) अथवा सेवा प्रदाता की वेबसाइट https://indianbankseauction.com पर उपलब्ध लिंक ''ई–नीलामी'' का संदर्भ ग्रहण करें अथवा प्राधिकृत अधिकारी, केनरा बैंक की एसएएम शाखा, सी–34, तृतीय तल, डीडीए शॉपिंग–कम–ऑफिस कॉम्प्लेक्स, मूल चंद चिकित्सालय के सम्मुख, लाजपत नगर, दिल्ली–24 से दूरभाष संख्या 011-79676467 या 8709281387 पर किसी भी कार्यदिवस पर कार्यालय समय के दौरान संपर्क किया जा सकता है।

दिनांक: 20.07.2022, प्राधिकृत अधिकारी,
स्थान: नई दिल्ली केनरा बैंक

भारत एकांश लिमिटेड
पंजीकृत कार्यालय–प्लॉट नं. 586, पॉकेट सी, आईएफसी, गाजीपुर, दिल्ली–110096
सीआईएन: L74899DL1985PLC020973, दूरभाष संख्या– 9355777335–36, वेबसाइट: www.bharatekansh.com, ईमेल: bharat.ekansh.ltd@gmail.com
30 जून 2022 तिमाही के लिए समेकित और स्टैंडअलोन गैर–लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का सारांश

क्र सं	विवरण	ईपीएस को छोड़कर समेकित (रुपये हजारों में)			ईपीएस को छोड़कर स्टैंडअलोन(रुपये हजारों में)		
		तिमाही समाप्ति		वार्षिक समाप्ति	तिमाही समाप्ति		वार्षिक समाप्ति
		30 जून 2022 गैर–लेखापरीक्षित	30 जून 2021 गैर–लेखापरीक्षित	31 मार्च 2022 (लेखा–परीक्षित)	30 जून 2022 गैर–लेखापरीक्षित	30 जून 2021 गैर–लेखापरीक्षित	31 मार्च 2022 (लेखा–परीक्षित)
1.	परिचालन से राजस्व	1,791.05	–	–	1,791.05	–	2,015.41
2.	अवधि के लिए शुद्ध लाभ/हानि (कर, असाधारण मद से पहलें)	-355.73	-357.15	-11,916.92	-348.13	-267.34	292.86
3.	कर से पहले की अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण मदों के बाद)	-355.73	-357.15	-11,916.92	-348.13	-267.34	292.86
4.	कर के बाद की अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण मदों के बाद)	-355.73	-357.15	-11,916.92	-348.13	-267.34	292.86
5.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि (कर के बाद) के लिए संयुक्त लाभ/(हानि) और अन्य व्यापक आय (कर के बाद)]	-355.73	-357.15	-11,916.92	-348.13	-267.34	292.86
6.	इक्विटी शेयर पूंजी	50,000.21	50,000.21	50,000.21	50,000.21	50,000.21	50,000.21
7.	आरक्षितों पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों को छोड़कर:	491,638.25	503,553.75	491,993.98	16,704.95	16,492.87	17,053.07
8.	ईपीएस (अंकित मूल्य रु. 10/– प्रति शेयर) वार्षिककृत नहीं						
	1. मूल	-0.07	-0.07	-2.38	-0.07	-0.05	0.06
	2. डाइलूटड	-0.07	-0.07	-2.38	-0.07	-0.05	0.06

टिप्पणी :
अ) उपरोक्त विवरण सेबी (एलओडीआर) के विनियम 33, विनियम, 2015 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दायर समेकित और स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों के 30 जून, 2022 को समाप्त तिमाही के विस्तृत प्रारूप का एक सारांश है। तिमाही और वर्ष के समाप्त वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप कंपनी की वेबसाइट यानी www.bharatekanshlimited.com पर उपलब्ध है।

कृते भारत एकांश लिमिटेड
हस्ता /
विशाल कुमार श्रीवास्तव
(प्रबंध निदेशक)

दिनांक : 18.07.2022
स्थान : नई दिल्ली

डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
भारत सरकार (रेल मंत्रालय) का उपक्रम

सं. एचक्यू/एडी/अतिथि गृह/2

दिल्ली में डीएफसीसीआईएल हेतु अतिथि गृह किराये पर लेना

डीएफसीसीआईएल निम्नलिखित नियमों और शर्तों के अनुसार दिल्ली में अपने अधिकारियों के लिए अतिथि गृह किराये पर लेने हेतु बोलियां आमंत्रित करता है:– 1. फ्लैट/घर का आकार (कार्पेट एरिया) – न्यूनतम 2300 वर्ग फुट कार्पेट एरिया और न्यूनतम 3000 वर्ग फुट सुपर एरिया। बोलीदाता को कार्पेट एरिया और सुपर एरिया दोनों का पृथक–पृथक रूप से उल्लेख करना चाहिए। 2. आवास अधिमानतः पूर्णतया सुसज्जित होना चाहिए। सफल बोलीदाता को स्वीकृति पत्र जारी होने के 15 दिनों के भीतर सभी संदर्भों में आवास का ब्यौरा प्रस्तुत करना होगा। किराया वास्तविक कब्जे की तिथि से आरंभ हो जाएगा। 3. संलग्न शौचालय सहित न्यूनतम चार बेडरूम + डाइनिंग/लिविंग रूम + संलग्न शौचालय के साथ नौकर कक्ष। 4. सोसायटी में समर्पित दो कार पार्किंग के साथ चौबीस घंटे पार्किंग की सुविधा होनी चाहिए। 5. सोसायटी में किरायेदारों के लिए स्वयं की क्लब सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। 6. यह मेट्रो स्टेशन से लगभग एक किमी के दायरे में होना चाहिए। 7. यह निर्बाध पहुंच वाले सड़क नेटवर्क से भली–भांति जुड़ा होना चाहिए। 8. सोसायटी/फ्लैट/घर, डीएफसीसीआईएल कॉर्पोरेट कार्यालय से अधिकतम 10 कि.मी. दूर होना चाहिए। 9. अनुबंध की अवधि तीन वर्ष होगी और दो वर्ष की लॉक–इन अवधि होगी। 10. सोसायटी में चौबीसों घंटे फुल प्रूफ सुरक्षा होनी चाहिए। 11. बोलीदाता को अपनी बोली एक सीलबंद लिफाफे (पैकेट) में प्रस्तुत करनी होगी जिसमें निम्नलिखित विवरण हों:– क) तकनीकी विवरण जैसे फ्लैट/घर का क्षेत्रफल, कमरों की संख्या और उक्त क्रमांक 1–10 में वर्णित विवरण और वित्तीय विवरण जैसे मासिक किराया और अन्य शुल्क। ख) कृपया ध्यान दें कि उपरोक्त पैकेट को एक सीलबंद लिफाफे में डाला जाना चाहिए, इस लिफाफे के ऊपर ''डीएफसीसीआईएल अतिथि गृह हेतु बोली'' अंकित होना चाहिए, जिसे प्रबंधक/प्रशा./सीओ, डीएफसीसीआईएल, 5वां तल, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली – 110001 को संबोधित किया जाना चाहिए और उसमें बोलीदाता का नाम और पता भी दर्शाया जाना चाहिए। यह सीलबंद लिफाफा डीएफसीसीआईएल कॉर्पोरेट कार्यालय, सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स, नई दिल्ली स्थित तीसरी मंजिल के स्वागत कक्ष में रखे गए निविदा बॉक्स में डाला जाना चाहिए। बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि 04.08.2022 को 15:00 बजे तक है। पूर्ण विवरण और भविष्य में शुद्धिपत्र/परिशिष्ट के लिए कृपया वेबसाइट www.dfccil.com देखें।

प्रबंधक/प्रशा./सीओ

www.readwhere.com